

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:- 612/2026

कुलवीरसिंह पुत्र गुरदेवसिंह जाति जटसिख सा. बुगलावांली तह.संगरिया जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

बनाम

-----वादी-----

- 1-गुरदेवसिंह पुत्र पालासिंह जाति जटसिख साकिन बुगलावांली तहसील संगरिया
- 2-कुलविन्द्रसिंह पिसर मुतवना अजायबसिंह जाति जटसिख साकिन बुगलावांली तहसील संगरिया
- 3-कर्मजीतकौर पत्नी कुलवीरसिंह जाति जटसिख साकिन बुगलावांली तहसील संगरिया

तहसीलदार 'राजस्व' संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई हमारे बहाजरी श्री ओमप्रकाश शर्मा वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री नवरत्न स्वामी वकील प्रतिवादी संख्या 1 व 3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि तहसीलदार राजस्व संगरिया को निर्देश दिये जाते है कि प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में छोड़े गए हिस्सा के संबंध में नियमानुसार पंजीयन शुल्क राजकोष में जमा करवाकर प्रतिवादी सं. 1 के नाम चक 20 एमजेडी खाता संख्या 11/19 जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 में दर्ज कृषि भूमि का वादी कुलवीर सिंह को व चक 27 एएमपी खाता संख्या 34/31 जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 व चक 21 एमजेडी के खाता संख्या 23/14 जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 एवं चक 21 एमजेडी के खाता संख्या 25/15 जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 में दर्ज कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 2 कर्मजीत कौर को खातेदार काश्तकार घोषित कर उक्त चको से प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

नोट:- यदि प्रश्नगत भूमि बैक रहन हो तो रहन मुक्त होने के पश्चात् ही अमल दरामद किया जावे।

निज.....~~X~~.....नल.....~~X~~.....मुब्लिक.....~~X~~.....निल.....~~X~~.....बाबत्.....~~X~~.....निल.....~~X~~.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....~~X~~.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....2-2-2026.....को जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
संगरिया